संख्या– 31 /11–6–22–एम(01)/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

राज्य कर अनुभाग–6 लखनऊः दिनांकः 14 मार्च, 2022

विषयः फिल्म ''द कश्मीर फाइल्ज'' को प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी. एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि फिल्म ''द कश्मीर फाइल्ज'' को मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों में प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी. एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति की प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश संख्या–612/11–6–2017–एम(43)/17 दिनांक 09.08.2017 में उल्लिखित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :–

(1) फिल्म के प्रदर्शन के लिये सम्बंधित सिनेमा/मल्टीप्लेक्स की प्रचलित सामान्य प्रवेश शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी और न ही विभिन्न क्लासों के आसन क्षमता में परिवर्तन किया जायेगा।

(2) प्रदेश में, फिल्म को एक समय में अधिकतम 200 प्रिंट–वीक की समय सीमा के अधीन प्रतिपूर्ति इस प्रकार की जा सकेगी कि फिल्म की संख्या एवं सप्ताह की संख्या का गुणाक 200 प्रिंट/स्क्रीन वीक से अधिक नहीं होगा। इस सम्बंध में स्पष्ट करना है कि यदि प्रदेश में 200 प्रिंट द्वारा फिल्म का प्रदर्शन एक साथ किया जाता है तो प्रतिपूर्ति की अवधि एक सप्ताह के लिये होगी। यदि प्रिंट की संख्या को कम किया जाता है तो उसी अनुपात में सप्ताह की संख्या बढ़ जायेगी किंतु उक्त सीमा 200 प्रिन्ट वीक से अधिक नहीं होगी एवं उपभोग की पूरी अवधि तीन माह से अधिक नहीं होगी।

(3) मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों को इस नीति के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा नियत अवधि के अन्दर प्रदर्शित होने वाली फिल्मों के दौरान, एस.जी.एस. टी की धनराशि को घटा कर दर्शकों को टिकटों का विक्रय किया जायेगा।

(4) ऐसी फिल्मों में आगणित राज्य माल और सेवा कर की धनराशि को, मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघरों के स्वामियों द्वारा अपने पास से, राजकोष में उसी विहित प्रक्रिया के अनुसार जमा की जायेगी, जैसे इस नीति के अतिरिक्त प्रदर्शित की जाने वाली फिल्मों हेतु विहित है।

कृपया तदनुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(सुनील यादव)
उप सचिव

...2

संख्या–31 (1)/11–6–2022–तद्दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0 लखनऊ)
2– सुश्री पल्लवी जोशी, निर्माता, आई0एम0 बुद्धा इन्टरटेनमेन्ट एण्ड मीडिया एल0एल0पी0, 403, ज्वेल महल, वरसोवा मुम्बई–400061
3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुनील यादव)
उप सचिव

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश

संख्या– 1134 /प्र0क0–02/2021–22 दिनांक 16-03-2022

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी (प्रभारी पूर्व मनोरंजन कर कार्य) उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित समस्त सिनेमा/मल्टीप्लेक्स स्वामियों को इस शासनादेश से अवगत कराते हुये इसका अनुपालन कराना एवं शासनादेश संख्या–690 दिनांक 03.12.2018 के परिप्रेक्ष्य में प्रतिपूर्ति हेतु सुसंगत अभिलेखों को संरक्षित एवं सत्यापित करना सुनिश्चित करें।
4. ज्वाइंट कमिश्नर(आई0टी0), विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
5. असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर, जवाहर भवन, मुख्यालय लखनऊ।
6. गार्ड फाइल।

16/03/2022

(सुधा वर्मा)
एडीशनल कमिश्नर,
वाणिज्य कर, उ0प्र0।

संख्या– 690 / 11–6–2018–एन(58) / 2017

प्रेषक,

आलोक सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबन्धन अनुभाग–6 लखनऊ :दिनांक: 03 दिसम्बर, 2018

विषय– प्रदेश में मल्टीप्लेक्स / सिनेमाघरों के निर्माण के प्रोत्साहन हेतु समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत निर्माणाधीन अथवा संचालित मल्टीप्लेक्सों / सिनेमाघरों को जी0एस0टी0 लागू (दिनांक 01.07.2017 से) होने के पश्चात् सहायक अनुदान का लाभ प्रदान किये जाने हेतु अनुदान की सीमा और प्रक्रिया निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, मनोरंजन कर के पत्र संख्या–2468 / प्र0क0–2 / 2017–18 दिनांक 11.10.2017 तथा कमिश्नर, वाणिज्य कर के पत्र संख्या–422 / प्र0क0–2 / 2018–19 दिनांक 08.05.2018, पत्र संख्या–671 / प्र0क0–2 / 2018–19 दिनांक 25.06.2018 एवं पत्र संख्या–1950 / प्र0क0–2 / 2018–19 दिनांक 03.09. 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उल्लेखनीय है कि माल और सेवा कर लागू होने से पूर्व किसी प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत संचालित मल्टीप्लेक्सों / सिनेमाघरों हेतु सहायक अनुदान के समायोजन की प्रक्रिया विभिन्न शासनादेशों में निम्नवत् निर्धारित थी :–

"सिनेमा स्वामी द्वारा अनुदान के समतुल्य कर की धनराशि को नकद जमा करना आवश्यक न होगा एवं इस संबंध में यह मान लिया जायेगा कि उसने उत्तर प्रदेश आमोद एवं पणकर नियमावली–1981 के नियम–24 के अन्तर्गत जारी निर्देशों के अनुसार अनुदान के बराबर की धनराशि जमा कर दी है, किन्तु लेखों में आवश्यक समायोजन हेतु यह आवश्यक होगा कि प्रत्येक माह सिनेमा स्वामी उपरोक्त बिल के साथ उस माह के लिये अनुमन्य अनुदान की कुल राशि का विवरण भी संलग्न करेगा, जो जिलाधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। इस प्रकार प्रस्तुत प्रतिहस्ताक्षरित बिल के आधार पर कोषाधिकारी अनुदान की राशि का नकद भुगतान न करके उक्त राशि को अनुदान संख्या–90 के लेखाशीर्षक–2045–वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क–आयोजनेत्तर–101 संग्रह प्रभार–

...2

d:\entertainment tax\diwakar

मनोरंजन कर-03-मनोरंजन कर से संबंधित अधिष्ठान-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता के नामे डालते हुए उसे प्राप्ति शीर्षक-0045-वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क-101-मनोरंजन कर-01-संग्रहण' के अधीन जमा कर देगा। बिल के साथ संलग्न सत्यापित प्रतिहस्ताक्षरित विवरण पत्र बाउचर का कार्य करेगा''।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माल और सेवा कर के लागू होने से पूर्व जितने मल्टीप्लेक्स/सिनेमाघर प्रोत्साहन योजनाओं से आच्छादित थे, उन्हें माल और सेवा कर लागू होने के दिनांक 01.07.2017 से, सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य अनुदान की शेष अवधि (अर्थात-निर्धारित प्रारूप में, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा, जारी अनुदान आदेश में उल्लिखित अनुदान अवधि की अन्तिम तिथि) तक अनुमन्य वर्षवार निर्धारित सीमा तक दर्शकों से संग्रहीत एस0जी0एस0टी0 से उपरोक्तानुसार, समायोजन की प्रक्रिया को इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसी, राज्य माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 एवं तद्धीन निर्मित नियमावली के प्राविधानों के अनुसार दर्शकों से संग्रहीत एस0जी0एस0टी0 राजकोष में जमा करने के पश्चात इसकी सूचना एवं शासन द्वारा निर्धारित अन्य विवरण/अभिलेख जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उक्त के यथासम्भव एक माह के अन्दर आवंटित बजट से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दर्शकों से संग्रहीत एस0जी0एस0टी0 की धनराशि के समतुल्य धनराशि सम्बंधित मल्टीप्लेक्स/ सिनेमाघर के लाइसेंसी के खाते में चेक द्वारा अथवा अनुमन्य विधि से अन्तरित कर दी जायेगी। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में, पूर्व माह में एकत्रित एस0जी0एस0टी0, जमा एस0जी0एस0टी0 एवं उपरोक्तानुसार वापस/प्रतिपूर्ति की गयी एस0जी0एस0टी0 की धनराशि की सूचना कमिश्नर, वाणिज्य कर को उपलब्ध करायी जायेगी। इसी प्रकार शासनादेश संख्या-564/11-6- 2017-एम(34)/17 दिनांक 28.07.2017 एवं शासनादेश संख्या-612/11-6-2017-एम(34)/17 दिनांक 09.08.2017 से आच्छादित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों द्वारा जमा की गई एस0जी0एस0टी0 की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी सम्बन्धित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों को की जायेगी।

4. माल और सेवा कर लागू होने के पूर्व से संचालित प्रोत्साहन योजनाओं से आच्छादित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों को सहायक अनुदान (grant-in-aid) के रूप में उन्हें मात्र, उनके द्वारा जमा करायी गयी एस0जी0एस0टी0 की धनराशि सुसंगत शासनादेशों में अनुमन्य वर्षवार प्रतिशत के आधार पर प्रतिपूर्ति किये जाने और उपरोक्त प्रस्तर-3 के अनुसार आवंटित बजट से, मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों द्वारा दर्शकों से संग्रहीत एवं विहित-प्रक्रिया के अनुसार राजकोष में

जमा का गया एस0जी0एस0टी0 की धनराशि की सीमा तक धनराशि सम्बन्धित मल्टीप्लेक्सों/सिनेमाघरों के लाइसेंसधारियों के खातों में अन्तरित (वापस) की जायेगी।

तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(आलोक सिन्हा)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या – 690 (1)/11–6–18, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, (प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त मण्डलायुक्त/समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग–9
4. सूचना अनुभाग–2
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0पी0 शुक्ल)
संयुक्त सचिव।

d:\entertainment tax\diwakar